ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा सरकार
ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, 30 बेज बिल्डीग, सैक्टर 17 चण्डीगढ
Office Phone: 0172-2705535 ई.मेल drd@hry.nic.in

Memo.No.PO(Bio-Gas)-2020/ 10915 चंडीगढ़, दिनांक 7/12/2020

विज्ञापन

नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं आर्गेनिक मैन्योर कार्यक्रम के अंतर्गत बायोगैस टर्नकी वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्री से आवेदन हेतु।

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, उपरोक्त कार्यक्रम को राज्य में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी0आर0डी0ए) के द्वारा कियान्वयन करवा रहा है। यह योजना भारत सरकार के निर्देश दिनांक 30.05.2018 के अंतर्गत लागू की जा रही है। इस योजना के दिशानिर्देश अनुसार वर्णित टर्न की जॉब स्कीम - 2 के आधार पर राज्य में छोटे घरेलु 1 से 25 घन मिटर बायोगास प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया को आरम्भ करने के प्रयोजन से राज्य नोडल एजेंसी/ खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन/ बायोगास डेव्लपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर/ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानो के द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों का जिलेवार पैनल बनाये जाने के लिए उनसे आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इन वर्कर्स द्वारा पहले किसी भी राज्य अथवा हरियाणा में बायोगास प्लांट निर्माण का अनुभव आवश्यक है। यह विभाग ऐसे अनुभवी वर्कर्स का एक पैनल तैयार कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणो के माध्यम से पूरे राज्य में छोटे ग्रहलू बायोगास प्लांट स्थापित करेगा। आवेदन पत्र, नियमों और शर्तों सहित योजनाओं का विवरण वेबसाइट (www.haryanarural.gov.in) पर उपलब्ध है।

बायोगैस टर्न की वर्कर, ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियन, बायोगैस मित्र एवं बायोगैस मिस्त्री के रूप में इस विभाग में पैनल हेतु आवेदन सभी पहलुओं में पूरे होने चाहिए और 31.12.2020 को या उससे पहले व्यक्तिगत रूप से इस विभाग में या पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए।

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा बिना किसी कारण बताए विज्ञापन प्रक्रिया को रद्द कर सकता है और आवेदक द्वारा किए गए किसी भी खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा
Har...
Di...

\Mgnrega-e\mgn\MGNREGA-TE\nbomp\Biogas terms and conditions.docx